

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

—:: आदेश ::—

सं० सं०-17/विविध- 01-204/2024

पटना, दिनांक :- / / 2025

डा० विजय श्री, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड-BHS), रेफरल अस्पताल, लक्ष्मीपुर, जमुई को वित्त विभागीय परिपत्र सख्या-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में दिनांक-01.09.2024 से 27.02.2025 तक कुल-180 दिनों का द्वितीय सतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

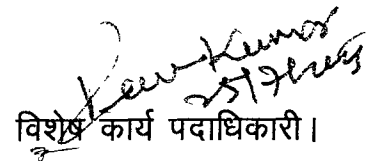
ज्ञापांक :-17/विविध- 01-204/2024 - 806/17) पटना, दिनांक :-28/10/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित सिविल सर्जन, जमुई/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, लक्ष्मीपुर, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० विजय श्री, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड-BHS), रेफरल अस्पताल, लक्ष्मीपुर, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।